राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2322/2011/जयपुर.

मैसर्स जुबेरी इंजीनियरिंग कम्पनी,
2835 जोगियों का टीबा, रामगंज बाजार, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन–II, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विनय गोयल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट लिजिंग टैक्स, संभाग–II, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2006 में अपीलार्थी की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल का उपयोग कार्य संविदा में किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल एम.एस.प्लेट और ए.आर.प्लेटस, एम.एस.एक्सेल पर 12 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया एवं उक्त कर राजकोष में जमा न होने पर ब्याज का आरोपण किया गया।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जो माल अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में क्रय किया गया है, उस माल रुपये 27,70,374/– का उपयोग केवल संविदा कार्य में हुआ है। इस तरह अन्तर्राज्यीय क्रय किये गये माल का हस्तांतरण कार्य संविदा में होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स त्रिवेणी इन्जिनियरिंग** निर्णय के आलोक में उस माल पर करारोपण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बहस के दौरान उन्होंने कथन किया कि ऐसे माल पर करारोपण का अधिकार उस राज्य को है जहां से माल का गमनागमन प्रारंभ हुआ है, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय की पालना किये बिना अपील अस्वीकार की गई है व विधिविरुद्ध होने से अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि न्यायिक दृष्टान्त 94 STC 422 के आलोक में आरोपित ब्याज अपास्तनीय है।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उन्होंने बहस के दौरान कथन किया कि त्रिवेणी इन्जिनियरिंग का निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होता है, क्योंकि उस निर्णय में केवल राज्य के बाहर किये गये अनुबंधों पर स्वतः कर आरोपण के लिये विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(38) में जोड़े गये परन्तुक (Explanation–2) को असंवैधानिक घोषित किया गया है जिसमें राज्य के बाहर किये गये अनुबंधों पर कर आरोपित करने का प्रावधान किया गया था एवं उक्त निर्णय में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उक्त परन्तुक को अमान्य करते हुए कर निर्धारण का आदेश दिया गया था चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अवार्डर एवं अपीलार्थी व्यवहारी दोनों राज्य के भीतर स्थित है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा की पूर्ति के लिये स्वयं राज्य के बाहर से माल का आयात कर उसकी डिलीवरी प्राप्त कर राज्य के भीतर अन्य विक्रयों के सदृश्य धारा 2(38)(ii) में विक्रय किया है जो राज्य के भीतर का विक्रय है जिस पर करारोपण किया जाना विधिनुकूल है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थी द्वारा जो माल अन्तर्राज्यीय क्रम में क्रय किया गया है उस पर अन्तर्राज्यीय कर अन्य राज्य में चुकाते हुए राजस्थान राज्य में प्राप्त किया है एवं इसका विक्रय राजस्थान राज्य में किया जाने पर धारा 2(38)i/ii के अनुसार विक्रय की परिभाषा में शामिल होता है।

5. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय **सहायक आयुक्त वर्क्स टैक्स बनाम इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया अपील संख्या 717/2008/जोधपुर निर्णय दिनांक 11.01.2013** में यह विस्तार से अवधारित किया गया है कि अन्तर्राज्यीय क्रम में माल की खरीद कर उसकी डिलीवरी प्राप्त करने के बाद राज्य के भीतर विक्रय करने पर धारा 2(38) के उपखंड i एवं ii में विक्रय में सम्मिलित होने से राज्य के भीतर कर दायित्व सृजित होता है। उक्त निर्णय अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी का राज्य के बाहर से माल खरीदकर कार्य संविदा में माल के हस्तांतरण के रुप में किये गये विक्रय पर आरोपित किये गये कर को यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। साथ ही देय कर जमा नहीं होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स रस्तोगी फर्नीचर** के निर्णयनुसार स्वतः आरोपणीय होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

6. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्पक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष